# मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

प्रकीर्ण वाद संख्या–५४/२०२०(एम.ए.सी.पी.सं.१५६/२०१४)
श्रीमती अनीता आदि बनाम राजीव आदि

**०३.०७.२०२०**

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। प्रार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित आये।

प्रार्थीगण श्रीमती अनीता एवं रामदयाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस आशय से दिया गया है कि एम.ए.सी.पी. सं.१५६/२०१६ में दिनांक २०.०५.२०१९ को निर्णय पारित किया गया था, जिसके अुपालन में मुब. ७,०३,६७२/–रु. की धनराशि न्यायाधिकरण के सिंडीकेट बैंक में जमा की जा चुकी है। इसके बाद बीमा कम्पनी द्वारा बकाया ब्याज मुब. १,९९,०००/–रु. जमा किया जिसके सम्बन्ध में सिंडीकेट बैंक का कहना है कि यह धनराशि उनके बैंक में नहीं आयी है। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक रूप से बताया कि उक्त ब्याज की बकाया धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकन बाग, झॉसी में जमा हो गयी है, जिसे सिंडीकेट बैंक में न्यायाधिकरण के खाते में स्थानान्तरित कर उन्हें धनराशि दिलाये जाने की कृपा की जाय।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में मूल पत्रावली तलब हुयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि एम.ए.सी.पी. सं. १५६/२०१४ में एम.ए.सी.टी./अपर जिला जज, कक्ष सं. ३, झॉसी द्वारा पारित निर्णय के अनुसार ६,९५,००८/– रु. मय ७ प्रतिशत की दर से दावा दाखिल करने की तिथि से अदायगी की तिथि तक के ब्याज हेतु याचिका स्वीकार की गयी थी। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस प्रकरण में मुब. ७,०३,६७२/– रूपये सिंडीकेट बैंक में होना पाया जाता है। बीमा कम्पनी द्वारा बकाया ब्याज मुब. १,९९,०००/– रु. जो जमा होना बताया गया है वह प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार पंजाब नेशनल बैंक में जमा हो गया है अतः सर्व प्रथम यह उचित होगा कि प्रस्तुत प्रकरण में पंजाब नेशनल बैंक में न्यायाधिकरण के खाते में बकाया ब्याज की जमा धनराशि मुब. १,९९,०००/– रु. न्यायाधिकरण के सिंडीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झॉसी के खाते में स्थानान्तरित करायी जाय।

## आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झॉसी को आदेशित किया जाता है कि यदि एम.ए.सी.पी.सं.१५६/२०१४ के प्रकरण में बकाया ब्याज की जमा धनराशि मुब. १,९९,०००/–रु. जमा हो तो वह उसे मय अर्जित ब्याज न्यायाधिकरण के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० IFSC Code SYNB 0009235 सिंडीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झॉसी में स्थानान्तरित करें व अनुपालन आख्या तीन दिन के अन्दर न्यायाधिकरण में दाखिल करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.7.20 को पेश हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.07.04 12:17:26 IST
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI